

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

यह हुक्म ही लागू है
जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 154/2014 अंतर्गत धारा-76 एल.आर.एक्ट
(GCMS No. 2014/00038)

अनवान:

1. प्रेम कुमार पुत्र श्री दिलीप कुमार जाति कुम्हार निवासी 6 ई
छोटी तहसील श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. कमला देवी पत्नी चेताराम जाति कुम्हार निवासी नया चक
चहल चौक, वार्ड नंबर 34, श्रीगंगानगर वगैरह।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांत उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्त को रेस्पोंडेंट संख्या 1 के निमित्त सही पता अंकित कर सम्मन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 31.12.2015 से लगातार पाबन्द किया जाता रहा है, किन्तु अभिभाषक अपीलान्त को बार-बार पाबन्द किये जाने के बावजूद आदिनांक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलान्त द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांत को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक तक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये हैं। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(2) के तहत अदम तकमील में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 27.05.2024 को सुनाया गया।

9/5/24
(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

